

कार्यालय उ० प्र०, लोक सेवा आयोग,  
संख्या— १ (१) /२६/सी—३/२०१८—१९  
प्रयागराज : दिनांक : २० जुलाई, २०१९

प्रेस-विज्ञप्ति

उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) प्रारम्भिक परीक्षा— २०१८, जो आयोग द्वारा दिनांक— १६—१२—२०१८ को आयोजित की गयी थी, में कुल ६४६९१ अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों में से कुल ३८२०९ अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक— ०५ जनवरी, २०१९ को आयोग द्वारा घोषित किया गया, जिसमें कुल ६०४१ अभ्यर्थी आयोग द्वारा सफल घोषित किये गये थे। उक्त घोषित परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा मुख्य/लिखित परीक्षा दिनांक— ३०, ३१ जनवरी एवं ०१ फरवरी, २०१९ को प्रयागराज एवं लखनऊ जनपद के केन्द्रों पर आयोजित की गयी। मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक— १३ जून, २०१९ को घोषित किया गया, जिसमें १८४७ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक— २१ जून, २०१९ से १७ जुलाई, २०१९ के मध्य सम्पन्न हुआ, जिसमें १८२३ अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा २४ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

२— प्रश्नगत परीक्षा में कुल ६१० रिक्तियों के सापेक्ष ६१० अभ्यर्थी सफल/चयनित हुए हैं, जिनमें अनारक्षित श्रेणी की ३०६ रिक्तियों के सापेक्ष ३०६ अभ्यर्थियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की १६४ रिक्तियों के सापेक्ष १६४ अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जाति श्रेणी की १२८ रिक्तियों के सापेक्ष १२८ अभ्यर्थियों को तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी की १२ रिक्तियों के सापेक्ष १२ अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांग पी०बी० श्रेणी की ०१ रिक्ति तथा पी०डी० श्रेणी की ०७ रिक्तियों के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण काल्पनिक रूप से अग्रेनीत किये जाने की संस्तुति की गयी है। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चर्चा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

३— प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से सफल घोषित जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख प्रोविजनल (Prov) अंकित है उनसे यह अपेक्षा है कि वे साक्षात्कार परिषद द्वारा दिये गये समय के अन्दर वॉछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

४— प्रश्नगत परीक्षा परिणाम दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या— ९०९६/२०१३ भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक— ०८ अक्टूबर, २०१३ के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन है।

५— प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचनायें शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेंगी। इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)  
सचिव।